<u>प्रकरण संख्या 05/2019 चकना व अन्य बनाम तारहेंग व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खुदनीहाला में आराजी नंबर 273, 313, 314, 318, 334, 344, 351, 352, 396, 397, 401, 402, 416/352, 426/349, 428/382, 429/220, 430/395 कुल खेत 17 रकबा 55 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 25 की पैत्रृक भूमि है, जो उनके पूर्वज नाथा पुत्र हीरा के खाते की है, जिसका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर उनके 5 पुत्र नगजी उर्फ नागजी, कलजी, अबजी, गलीया व मेगजी हुए। उक्त सजरे अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त आराजियात में 1/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 से 19 व 25 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 20 से 24 का 1/5 हिस्सा है एवं इसी अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी के पिता गलिया की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 31 में वादी का नाम दर्ज नहीं कर केवल गवजी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। उस वक्त वादी 8–9 वर्ष का होकर संयुक्त परिवार में गवजी के संरक्षण में ही रहता था। गवजी के मरने के बाद जरिये नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज हो गया, वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ जबकि वादी मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादी के भौतिक कब्जे वाली भूमि जो नेशनल हाईवे 113 में अवाप्त होकर उनका मुआवजा छुपे तौर पर उठा लिया है तथा वादी को जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी को प्रतिवादीगण के साथ विवादित आराजियात का सहखातेदार घोषित कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.02.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.04.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री समर पण्डया उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री राजीव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी ने जो वंशावली प्रस्तुत की है वह सही नहीं है बल्कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब में जो वंशावली प्रस्तुत की है, वह सही है। उक्त वंशावली में वादी तारहेंग के पिता का नाम मेगजी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलान्टगण के साथ वादी तारहेंग का 1/5 हिस्सा घोषित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आयी साक्ष्यों के अनुरूप ही रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्टगण का कथन है कि तारहेंग के पिता का नाम मेगजी है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जबकि इसके विपरीत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तारहेंग के पिता का नाम गलिया अंकित है। स्वयं प्रतिवादी के गवाह डी.डब्ल्यू. 1 जोखा पुत्र मेगजी एवं डी.डब्ल्यू. 2 हवजी पुत्र नगजी ने अपने बयानों के परीक्षण में वादी तारहेंग के पिता का नाम गलिया बताया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने तनकीवार विवेचन में उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसीस प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 33/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री 14.02.2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सांगावत)
बन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested